(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE - EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 8th LEVEL, C-WING. DELHI SECRETARIAT, IP ESTATE, NEW DELHI

1 14(5)/1 A-2006/ 65/1895

New Delhi, dated the 22nd March, 2006

NOTIFICATION

F. 14(5)/LA-2006/ - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 20th March, 2006 and is hereby published for general information: -

THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2006 (DELHI ACT 1 OF 2006)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 9th March, 2006)

[20th March, 2006]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services of the financial year 2005-2006.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows: -

Short fitte.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2006.

Issue of
Rs. 3175,54,36,000/from and out of the
Consolidated Fund of the
National Capital Territory
of Delhi for the financial
year 2005-2006 -

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of three thousand one hundred seventy five crore fifty four lakh and thirty six thousand rupees only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2005-2006 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

THE SCHEDULE (See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

į.				SUMS NOT EXCEEDING	
DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Tota
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Legislative Assembly	Revenue	100	0	100
2	General Administration	Revenue	57536	664	58200
3	Administration of Justice	Revenue	57278	94800	152078
4	Finance	Revenue	0	10	10
5	Home	Revenue	80064	' о	80064
		Capital	5000	0	5000
6	Education	Revenue	269937	47938	317875
		Capital ·	3610	0	3610
. 7	Medical and Public Health	Revenue	98322	2553	100875
8	Social Welfare	Revenue	1158882	2208	1161090
		Capital	1566463	. 0	1566463
9	Industries	Revenue	70478	0	70478
		Capital	200	0	200
10	Development	Revenue	2719077	386	2719463
	· 10	Capital	331228	942532	1273760
11	Urban Development and	Revenue	2944810	860	2945670
_	Public Works	Ċapital	317500	o	317500
	Public Debt.	Revenue	0	0	O
		Capital	0	20983000	20983000
1	Total		9680485	22074951	31755436

(Rakesh Syal) Joint Secretary (Law, Justice and Legislative Affairs) (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग -4 में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 8वां तल, सी विंग, दिल्ली सिचवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फा0 14(5)/एल.ए.-2006/*द्वा जे | व्ह| 1895*

दिनांक 22 मार्च, 2006

अधिसुचना

संख्या फा0 14 (5)/एल.ए. -2006/ - उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 20 मार्च, 2006 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

> दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2006 (2006 का दिल्ली अधिनियम संख्या 1)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा 9 मार्च, 2006 को यथापारित)

[20 मार्च, 2006]

वर्ष 2005—2006 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम !

इसे भारतीय गणतंत्र के सत्तावनवें वर्ष में राप्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

संक्षिप्त शीर्षक।

(1) इस अधिनियम को दिल्ली विनियोग(संख्या--1) अधिनियम, 2006 कहा जाए।

3175,54,36,000/— रुपयों का (2) वर्ष 2005—2006 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संवित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रवत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तीन हजार एक सौ पिचलार करोड़ चौवन लाख छतीस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2005–2006 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रवत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि चक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में चल्लिखित कार्यों और चद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

*		(रुपये हजारों में)				
••••			रायी इससे अधिक गर्ध			
	मांग सेवायें एवं चद्देश्य रिक्या		विद्यान रामा द्वारा	संविक्त निधी र	A)	
_ (1) (2)	***************************************	स्थीकृत	भारि	Mi.	
*****		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(3)	(4)	(5)	
	विद्यान सभा २ सामान्य प्रशासन	राजस्य	100			
2	वद्याद्युष	राजस्य	57536	0	100	
	्राच्या अद्यक्तिम् । -	राजस्य	57278	664	00200	
4		राजस्य		94800	152078	
5	पृष्ठ	र/जन्य	0	10	10	
			80064	0	80064	
6	शिक्षा	पूंजी	5000	. 0	5000	
		राजस्य	269937	47938	317875	
*1	y	पूंजी	3610	0		
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्य	98322		3610	
8	समाज कल्याण	राजस्व		2553	100875	
		पूंजी	1158882	2208	1161090	
9	चद्योग	राजस्य	1566463	O	1566463	
	E	पूंजी	70478	0	70478	
0	विकास	राजस्य	200 2719077	0	200	
1		पूंजी	331228	386	2719463	
8	हरी विकास एवं सोक निर्माण	राजस्य	2944810	942532	1273760	
		पूंजी	317500	860 0	2945670	
	सार्वजनिक ऋण	राजस्त	o		317500	
	2	पूंजी	0	20988000	0	
	जोड	**************	***************************************		20983000	
	~** *		9680485	22074951	31755486	

(राकेश स्याल) रांयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)